

न्यायालय राजस्व मंडल वेवालय सं १०
R-9263-II-16

प्र सं ~~1090~~ / 16

रैस्तीरेशन आवेदन

शिवपुरी

कुपाल सिंह
पुनरपुनरी ३५ ५० नि. गा. कडोही
त-डोलास्य-मिनापुरी V/S

उताप सिंह मिनापुरी
त-डोलास्य-मिनापुरी

1090 निगरानी

पुनः डिफाई पड लिडु जानी जावल ।

महोदय,

1) यह कि दिनांक 20/11/16 को प्रार्थी का प्रकरण

सुनवाई हेतु निमन या इन्कि उपरीमल दिनांक को रकियाड अवकाश होत के काडण में प्रकडण दिनांक 21/11/16 सोमवास को सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष ररवा गया था।



यह कि उपरीमल दिनांक 21/11/16 को अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय में अस्त होत के काडण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। जिस काडण में उक्त प्रकडण को माननीय न्यायालय द्वारा रवाडिया कर दिया गया।

अतः माननीय न्यायालय में निवेदन है कि न्याय के हित को देखते हुए प्रकडण को पुनः डिफाई पड लिडु जानी हेतु आदेश प्रदान करें। ताकि प्रकडण का निराकडण सुवादोष पड किया जा सकें।

दिनांक 22/11/16

कुपाल सिंह

डाई-अभिभाषक विव



दिनांक 23-11-16 को प्री विवेक को काडी प्रकडण
23-11-16
585
23-11-16


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो 9263-दो/16

जिला -शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28.11.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री विवेक व्यास उपस्थित। उनके द्वारा रेस्टो आवेदन पर तर्क कर कहा कि वह माननीय उच्च न्यायालय में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके। अतः आवेदक अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक निगरानी 1090-तीन/16 में किया गया आदेश दिनांक 21.11.16 को पुनः नंबर पर लिया जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण क्र० निग० 1090-तीन/16 पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रेस्टो आवेदन स्वीकार कर निराकृत किया जाता है।</p>	 सदस्य

